"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 मई 2013—वैशाख 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपीटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3690/डी. 119/21 अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 04 2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2013)

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

3. संस्थान का निगमन.
4. संस्थान की शक्तियां.
5. संस्थान सभी वर्गों, जातियों और सम्प्रदायों के लिए खुला रहेगा.
6. संस्थान में प्रवेश.
7. संस्थान में शिक्षण.
8. कुलाधिपति.
9. संस्थान के प्राधिकारीगण.
10. बोर्ड का गठन.
11. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और देय भत्ते.
12. बोर्ड की शक्तियां और कार्य.
13. सीनेट.
14. सीनेट का कार्य.
15. वित्त समिति.
16. वित्त समिति की शक्तियां और कार्य.
17. भवन एवं कार्य समिति.
18. भवन एवं कार्य समिति की शक्तियां एवं कार्य.
19. बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य.
20. निदेशक की नियुक्ति.
21. निदेशक की शक्तियां एवं कार्य.
22. संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य.
23. रजिस्ट्रार की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य.
24. अन्य प्राधिकारी.
25. राज्य शासन द्वारा अनुदान.
26. संस्थान की निधि.
27. लेखा और लेखा परीक्षा.
28. पेंशन एवं भविष्य निधि.
29. कर्मचारियों की नियुक्ति.
30. परिनियम.
31. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

32. अध्यादेश.
33. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
34. विनियमन बनाने की शक्ति.

अध्याय-तीन
विविध

35. संस्थान के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.
36. संस्थान के निदेशक, बोर्ड, सीनेट या वित्त समिति के सदस्य का हटाया जाना.
37. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.
38. नियम बनाने की शक्ति.
39. परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना एवं विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2013)

अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

सूचना प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग क्षेत्र एवं ज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन, शोध, चिंतन एवं कार्य विस्तारण को प्रोत्साहित करने एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एवं इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए नया रायपुर में एक-अ सम्बद्ध, शिक्षण एवं शोध विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या" से अभिप्रेत है, अध्ययन की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या जो शैक्षणिक मानकों की स्थापना के लिये उत्तरदायी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है तथा जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शैक्षणिक मानकों की स्थापना के लिये उत्तरदायी कोई वैधानिक निकाय या विश्वविद्यालय का सीनेट, जैसा कि अपेक्षित हो;

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का बोर्ड;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के बोर्ड का अध्यक्ष;

(ङ) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "डीन" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, डीन अकादमिक या अनुसंधान एवं विकास;

(छ) "निदेशक" से अभिप्रेत है, नया रायपुर में संस्था का निदेशक जो विश्वविद्यालय का, पदेन, कुलपति होगा;

(ज) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा विश्वविद्यालय की निधि से वेतन एवं अन्य पारिश्रमिक आहरित कर रहा हो;

(झ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ञ) "संस्थान" से अभिप्रेत है, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) के साथ भागीदारी में इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में निगमित अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर (आईआईआईटी-नया रायपुर);

(ट) "एनटीपीसी" से अभिप्रेत है, नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, जो दिल्ली में निगमित एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत (पॉवर) उत्पादन एवं संबंधित गतिविधियों में संलग्न है जिसमें इसके उत्तराधिकारी, प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं अनुज्ञप्त समनुदेशिति सम्मिलित हैं;

(ठ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) के प्रयोजन के लिये एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग;

(ड) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार;

(ढ) "आरक्षित सीटों" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रवेश के संबंध में व्यक्तियों के विशेष संवर्गों के लिये आरक्षित सीटें;

(ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अधिसूचित कोई जाति;

(त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अधिसूचित कोई जनजाति;

(थ) "सीनेट" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का सीनेट;

(द) "प्रायोजक" से अभिप्रेत है, उपरोक्त खण्ड (ट) में यथा परिभाषित एनटीपीसी;

(ध) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(न) "परिनियम" "अध्यादेश" और "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(प) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

अध्याय-दो
विश्वविद्यालय

3. (1) अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-नया रायपुर, संक्षिप्त नाम "आईआईआईटी-नया रायपुर" जो इसमें इसके पश्चात् संस्थान के रूप में निर्दिष्ट है, के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, जो कि ऐसी तारीख से प्रभावी होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे. संस्थान का निगमन.

स्पष्टीकरण.— इस अधिनियम में शब्द "संस्थान" तथा "विश्वविद्यालय" का अन्तर-परिवर्तनीय उपयोग किया गया है.

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वाद लाया या उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा.

(3) संस्थान, वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से स्वायत्त रहेगा जिसकी स्वयं की प्रशासनिक नीतियां एवं पद्धतियां उसके परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन में उपबंधित होंगी.

संस्थान की शक्तियां. 4. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) विद्यार्थियों जिनके पास परिनियम में यथा उपबंधित पात्रता है उनका प्रवेश लेना एवं वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या का अनुमोदन करना;

(ख) संस्थान द्वारा उचित समझे गए अनुसार अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, शिक्षा, विज्ञान और कला या ज्ञान के अन्य क्षेत्र जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, में शिक्षण और शोध के लिए तथा इन क्षेत्रों में विद्या के अभिवर्धन और ज्ञान के प्रसार और सृजन के लिए प्रावधान करना;

(ग) परीक्षाओं का आयोजन करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य अकादमिक प्रशस्तियां अथवा अवार्ड प्रदान करना;

(घ) मानद डिग्रियां अथवा अन्य शैक्षणिक प्रशस्तियां प्रदान करना;

(ङ) शुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण, मांग और प्राप्त करना;

(च) विद्यार्थियों के आवास हेतु हॉल और छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंधन करना;

(छ) आवास का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना, संस्थान के विद्यार्थियों के अनुशासन को विनियमित करना और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक एवं निगमित जीवन को प्रोन्नत करने हेतु व्यवस्थाएं करना;

(ज) अकादमिक और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर, निदेशक के पद को छोड़कर, नियुक्तियां करना;

(झ) प्रथम परिनियम को छोड़कर परिनियमों, अध्यादेशों और विनियम की विरचना करना और उनमें परिवर्तन, उपान्तरण अथवा रद्द करना;

(ञ) संस्थान के उद्देश्यों के अभिवर्धन के लिए, संस्थान में निहित अथवा उससे संबंधित किसी भी चल सम्पत्ति का ऐसी रीति से व्ययन करना, जैसा वह ठीक समझे;

(ट) शासन से उपहार, अनुदान, दान या उपकृति प्राप्त करना और वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं अथवा अन्तरणकर्ताओं से, जैसी भी स्थिति हो, चल या अचल सपंत्तियों का वसीयत, अनुदान तथा अन्तरण प्राप्त करना;

(ठ) संस्थान के समान, पूर्णत: या आंशिक रूप से, उद्देश्य रखने वाले विश्व के किसी भी भाग में स्थित शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, सामान्यतः ऐसी रीति से, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप हो, शिक्षकों और स्कॉलरों के आपसी आदान प्रदान द्वारा सहयोग करना;

(ड) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, प्रदर्शनियां, पुरस्कार और मैडल संस्थापित करना और प्रदान करना; तथा

(ढ) संस्थान के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी ऐसे कार्य करना जो कि आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हैं.

(2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थान किसी भी अचल संपत्ति का किसी भी प्रकार से व्ययन नहीं करेगा.

5. (1) संस्थान किसी भी लिंग, धर्म, पंथ, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा और संस्थान के लिए यह विधिसंगत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को संस्थान के शिक्षक के रूप में नियुक्त करने, या उसमें कोई अन्य पद धारण करने अथवा संस्थान के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश देने अथवा उन्हें स्नातक बनाने अथवा उन्हें किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का लाभ उठाने या प्रयोग करने के लिए धार्मिक आस्था के नाम पर कोई परीक्षा या व्यवसाय या राजनीतिक विचार स्वयं अंगीकृत करे या उस व्यक्ति पर अधिरोपित करे. **संस्थान सभी वर्गों, जातियों और सम्प्रदायों के लिए खुला रहेगा.**

(2) किसी भी राष्ट्रीयता के विद्यार्थियों के लिए यह संस्थान खुला रहेगा जिन्हें परिनियम में यथाविहित रीति में प्रवेश दिया जा सकेगा.

(3) संस्थान द्वारा ऐसी कोई भी वसीयत, दान या किसी संपत्ति का हस्तांतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें बोर्ड की राय में इस धारा के उद्देश्य और भावना के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्यता निहित हो.

6. (1) वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी.) के आधार पर, ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए: **संस्थान में प्रवेश.**

परंतु वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या का पचास प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्कूलों में से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकण्डरी) अर्हकारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये आरक्षित होगा:

परंतु यह और कि वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या का पंद्रह प्रतिशत एनटीपीसी में नियोजित व्यक्तियों के लिये अथवा उनके प्रतिपाल्य (बच्चों), जो अन्यथा पात्र हों तथा एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित हों, के लिए आरक्षित होगा.

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के प्रवेश के समय सीटों का आरक्षण तथा इसका विस्तार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शासन द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा.

7. संस्थान में शिक्षण का संचालन, इस निमित्त बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार, संस्थान द्वारा या इसके नाम से किया जाएगा. **संस्थान में शिक्षण.**

8. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे. कुलाधिपति.

(2) कुलाधिपति एक या अधिक व्यक्तियों को संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने, उसके कार्यों की जांच करने तथा उस पर ऐसी रीति से रिपोर्ट देने के लिए, जैसा कि वह निदेशित करें, नियुक्त कर सकते हैं.

(3) इस प्रकार की किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाधिपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा तथा ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि वह उस मामले के संबंध में आवश्यक समझे और ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए संस्थान बाध्य होगा.

9. संस्थान के प्राधिकारीगण निम्नानुसार होंगे :— **संस्थान के प्राधिकारीगण.**

(1) अध्यक्ष,
(2) बोर्ड,
(3) सीनेट,
(4) वित्त समिति,
(5) भवन एवं कार्य समिति,
(6) ऐसे अन्य प्राधिकारीगण, जिन्हें परिनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकारी घोषित किया जाए.

बोर्ड का गठन.

10. बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष, यथा विहित रीति अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामांकित किया जायेगा;

(2) प्रमुख सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन);

(3) प्रमुख सचिव या सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन);

(4) संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, (पदेन);

(5) सीनेट द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर;

(6) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सहित शिक्षा, अभियांत्रिकी, विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संबंध में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार व्यक्ति, बोर्ड द्वारा नामांकित किये जायेंगे;

(7) डीन (अकादमिक) और डीन (शोध एवं विकास) (पदेन);

(8) प्रायोजक द्वारा नामांकित तीन व्यक्ति;

(9) रजिस्ट्रार;

(10) संस्थान का निदेशक (पदेन सदस्य-सचिव).

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और देय भत्ते.

11. (1) इस धारा में यथा उपबंधित को छोड़कर :—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्य की पदावधि, उसके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की होगी.

(ख) पदेन सदस्य बोर्ड में तब तक बना रहेगा जब तक वह उस पद को धारित करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है.

(ग) आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति हेतु नामित सदस्य, की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक के लिए निरंतर रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है.

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई निवर्तमान सदस्य, तब तक पद में बना रहेगा, जब तक कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामांकित नहीं कर दिया जाता.

(3) संस्थान के कर्मचारियों के अलावा, बोर्ड के सदस्य, व्यय की प्रतिपूर्ति, भत्तों के भुगतान तथा बैठक शुल्क (सिटिंग फीस), जैसा कि विनियमों में उपबंधित किया जाए, प्राप्त करने हेतु हकदार होंगे.

बोर्ड की शक्तियां और कार्य.

12. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड, संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों अथवा विनियमों के द्वारा उपबंधित से अन्यथा न हो और उसके पास वित्त समिति तथा भवन एवं कार्य समिति के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति होगी.

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर निर्णय लेना;

(ख) सीनेट की अनुशंसा पर अध्ययन के पाठ्यक्रमों का संस्थापन;

(ग) प्रथम परिनियम से भिन्न परिनियमों का निर्माण;

(घ) संस्थान में अकादमिक के साथ-साथ अन्य पदों का सृजन करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना और वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की वेतन संरचना तथा निबंधनों एवं शर्तों को निर्धारित करना;

(ङ) अध्यादेशों या विनियमों का निर्माण, उपांतरण अथवा निरस्त करना;

(च) सीनेट या भवन एवं कार्य समिति, यथास्थिति, की अनुशंसा पर संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और विकास योजनाओं पर विचार करना एवं अनुमोदित करना;

(छ) वित्त समिति द्वारा यथा अनुशंसित, आगामी वित्त वर्ष के लिए संस्थान के वार्षिक लेखाओं तथा बजट अनुमान पर विचार करना तथा अनुमोदन करना;

(ज) भवन तथा कार्य समिति द्वारा यथा अनुशंसित सभी अधोसंरचना संबंधी कार्य, सभी गौण मूल कार्य तथा सम्पदा के संधारण संबंधी कार्यों का प्रशासनिक अनुमोदन करना;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि इस अधिनियम या परिनियम द्वारा उसे प्रदत्त किया जाये या उस पर अधिरोपित किया जाए.

(3) बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, ऐसी अन्य समितियों को नियुक्ति करने की शक्तियां होंगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे:

परंतु इस उप-धारा के अधीन नियुक्त ऐसी किसी भी समिति को ऐसी शक्तियां एवं कृत्य नहीं सौंपे जाएंगे जो सीनेट, वित्त समिति तथा भवन एवं कार्य समिति के प्रतिकूल हों.

13. सीनेट में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :— सीनेट.

(क) निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) रजिस्ट्रार;

(ग) डीन (अकादमिक), जो सचिव होगा;

(घ) वरिष्ठतम प्राध्यापक, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी जो विभिन्न संकायों का प्रतिनिधित्व करते हों, और जिन्हें वरिष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(ङ) तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, जिनमें से प्रत्येक विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रबंधन के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् होंगे, बोर्ड द्वारा नामांकित किये जायेंगे; और

(च) दो से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्ति जो कि सीनेट द्वारा उसको किन्हीं शैक्षणिक (अकादमिक) मुद्दों पर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए, मतदान के किसी अधिकार के बिना, उस बैठक में आमंत्रित किये जा सकेंगे.

सीनेट का कार्य. 14. सीनेट, संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक (अकादमिक) निकाय होगा और जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान में शिक्षा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अन्तर्विभागीय समन्वय, शोध, परीक्षाओं और शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा तथा इन पर नियंत्रण रखेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्य एवं कृत्य करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये या उसे प्रदत्त किया जाये.

वित्त समिति. 15. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य शासन का प्रतिनिधित्व करने वाले नामिति, जो क्रमशः —

(एक) तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित ;

(दो) वित्त विभाग से संबंधित हों;

(ग) बोर्ड द्वारा नामित उसका एक सदस्य;

(घ) वित्त या लेखा में ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति जो संस्थान का कर्मचारी न हो, जो बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(ङ) संस्थान का मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, जो सचिव होगा;

(च) रजिस्ट्रार;

(छ) प्रायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(2) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा पदेन सदस्यों से भिन्न, वित्त समिति के सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

वित्त समिति की शक्तियां और कार्य. 16. वित्त समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) लेखाओं की जांच करना और व्यय हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा करना;

(ख) संस्थान के वित्तीय अनुमानों के लिये वार्षिक लेखाओं की जांच करना तथा उसे अपनी टिप्पणियों के साथ बोर्ड के अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करना;

(ग) परिनियमों द्वारा यथा उपबंधित सीमाओं तक व्यय की मंजूरी देना.

भवन एवं कार्य समिति. 17. (1) भवन एवं कार्य समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(क) निदेशक, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बोर्ड द्वारा नामित उसका एक सदस्य;

(ग) प्रायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(घ) सिविल इंजीनियरिंग में ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति जो संस्थान का कर्मचारी न हो, जो बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(ङ) संस्थान द्वारा प्रदत्त अध्ययन के किसी क्षेत्र में शिक्षण या शोध के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त एक व्यक्ति जो संस्थान का कर्मचारी न हो, जो बोर्ड द्वारा नामांकित किया जाएगा;

(च) लोक निर्माण विभाग से संबंधित राज्य शासन का एक नामिति;

(छ) नया रायपुर विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(ज) रजिस्ट्रार;

(झ) संस्थान की सम्पदा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी, समिति का सचिव होगा.

(2) संस्थान की सम्पदा के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी वरिष्ठतम अधिकारी एवं पदेन सदस्य से भिन्न भवन एवं कार्य समिति के सदस्य अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

भवन एवं कार्य समिति की शक्तियां और कार्य.

18. परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, भवन एवं कार्य समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) सभी मुख्य अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृत बजट के भीतर तकनीकी अनुमोदन;

(ख) सभी गौण मूल कार्यों और संपदा के अनुरक्षण (रखरखाव) से संबंधित कार्य हेतु स्वीकृत बजट के भीतर तकनीकी अनुमोदन एवं समाशोधन;

(ग) निम्नलिखित के संबंध में अनुमोदन प्रदान करना :—

(एक) ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना,

(दो) निविदाओं का आमंत्रण और स्वीकृति प्रदान करना,

(तीन) कार्य आदेश जारी करना,

(चार) विभागवार कार्यों को हाथ में लेना और कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण करना;

(घ) दावों और असूचीबद्ध दरों के परिनिर्धारण के संबंध में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करना;

(ङ) सूचीबद्ध दरों को वित्त समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करना;

(च) भवनों के निर्माण और भूमि के विकास के मामले में ऐसे अन्य कार्य करना जैसा कि बोर्ड, समिति को समनुदेशित करने हेतु उचित समझे;

(छ) समिति का अध्यक्ष परिस्थिति के अनुसार, समिति की सभी या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक आदेश को समिति एवं बोर्ड को क्रमश: उनकी आगामी बैठक में सूचित किया जाएगा.

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य.

19. बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां परिनियम में यथा उपबंधित बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं हुई है, तो अध्यक्ष को परिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की बैठक आहूत करने की शक्ति होगी;

(ग) जहां निदेशक की राय में, संस्थान के हित में तत्काल निर्णय लिए जाने की आवश्यकता प्रतीत होने की स्थिति निर्मित होती है, तब निदेशक की अनुशंसा पर अध्यक्ष ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जैसा आवश्यक समझा जाए:

परन्तु ऐसे आदेशों को बोर्ड की आगामी बैठक में उसके अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां संस्थान पर वित्तीय भार बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट के प्रावधानों से अधिक हो, वहां ऐसा निर्णय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं लिया जाएगा;

(घ) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन, परिनियमों द्वारा अथवा बोर्ड के संकल्प द्वारा उसे सौंपे जाएं.

निदेशक की नियुक्ति.

20. (1) निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर साईंस अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त विद्वान होगा जिसके पास उच्च शिक्षण के स्नातक स्तरीय संस्थान में कार्य का प्रशासनिक अनुभव होगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, संस्थान के निदेशक की नियुक्ति, इस अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (3) या उप-धारा (7) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा अनुशंसित किए गए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा "प्रसाद के सिद्धांत के अधीन" राज्य शासन के परामर्श के पश्चात् की जाएगी:

परंतु यदि कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें खोज समिति द्वारा अनुशंसित किया गया हो, में से कोई नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए इच्छुक न हो, तो कुलाधिपति ऐसी खोज समिति से नई अनुशंसा मंगा सकेगा.

(3) कुलाधिपति एक खोज समिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) बोर्ड द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;
(दो) प्रायोजक द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;
(तीन) कुलाधिपति द्वारा अनुशंसित एक व्यक्ति;

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को खोज समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(4) उप धारा (3) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, निदेशक की अवधि का अवसान होने के छः माह पूर्व, बोर्ड तथा प्रायोजक को खोज समिति के लिए अपने अपने नामिति चुनने के लिए कहेगा, और यदि उसमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को पुनः नामांकित कर सकेगा.

(5) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो संस्थान से संबद्ध है, उप-धारा (3) के अधीन खोज समिति के लिए अनुशंसित या नामांकित नहीं किया जाएगा.

(6) खोज समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए गए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर पैनल प्रस्तुत करेगी.

(7) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उप-धारा 3 द्वारा गठित की गई है, उप-धारा 6 में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर पैनल प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो संस्थान से संबद्ध नहीं है, एवं उन्हें नियुक्त करेगा जिनमें से एक को अध्यक्ष अभिहित किया जाएगा, इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुत्तर अवधि, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों का पैनल प्रस्तुत करेगी.

(8). यदि उप-धारा (7) के अधीन गठित की गई समिति उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पैनल प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

(9) निदेशक संस्थान का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी परिलब्धियां एवं सेवा की अन्य शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

(10) निदेशक पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

21. निदेशक की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :— **निदेशक की शक्तियां एवं कार्य.**

(क) निदेशक संस्थान का प्रमुख अकादमिक एवं कार्यपालक अधिकारी होगा, वह संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा निर्देश देने के लिए एवं अनुशासन के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा.

(ख) निदेशक बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा प्रस्तुत करेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसी विशेष या सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेशक से अपेक्षा कर सकेगा जैसी आवश्यक समझी जाए.

(ग) निदेशक का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय क्रियान्वित हो रहे हैं.

(घ) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि परिनियम, अध्यादेश, विनियम अथवा बोर्ड के संकल्प द्वारा विहित किया जाये.

(ङ) यदि निदेशक की राय हो कि परिस्थिति आपात प्रकृति की है और किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है तो वह लिखित में कारण लेखबद्ध करते हुए, संस्थान के अध्यक्ष के अलावा, किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा:

परन्तु निदेशक यथाशीघ्र, ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, तथा उस पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

22. (1) संकायाध्यक्ष की नियुक्ति निदेशक की अनुशंसा पर तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित, बोर्ड द्वारा किया जायेगा. **संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य.**

(2) संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि, यथास्थिति, इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अधीन अथवा बोर्ड द्वारा उनको समनुदेशित किया जाये.

23. (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाये. **रजिस्ट्रार की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य.**

(2) रजिस्ट्रार संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधि और संपत्ति का अभिरक्षक होगा.

(3) रजिस्ट्रार, निदेशक के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा तथा निदेशक के निर्देशों एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा.

(4) रजिस्ट्रार ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि, यथास्थिति, इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियम के अधीन अथवा बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किया जाये तथा वह ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन एवं ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने में, अपने कृत्यों (कार्यों) के समुचित निष्पादन के लिये निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा.

अन्य प्राधिकारी. 24. अन्य प्राधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि उसमें उपबंधित किया जाए.

राज्य शासन द्वारा अनुदान. 25. इस अधिनियम के अधीन संस्थान को अपने कार्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन के लिये सक्षम बनाने के प्रयोजन हेतु, राज्य शासन इस संबंध में विधि द्वारा विधानमंडल द्वारा सम्यक् रूप से विनियोजन के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संस्थान को ऐसी धनराशि का भुगतान, ऐसी रीति में करेगा, जैसी वह ठीक समझे.

संस्थान की निधि. 26. (1) संस्थान निधियां संधारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा कियां जाएगा :—

(क) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त शुल्क और अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत अथवा हस्तांतरण द्वारा संस्थान द्वारा प्राप्त राशि;

(घ) किसी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य स्त्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त राशि;

(ङ) प्रायोजक से प्राप्त राशि.

(2) निधि में जमा राशियों को ऐसे बैंक में जमा किया जायेगा या ऐसी रीति में निवेश किया जायेगा जैसा कि निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार विनिश्चित करें.

(3) संस्थान की निधि का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में हुए व्यय सहित संस्थान के व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा.

लेखा और लेखा परीक्षा. 27. (1) संस्थान लेखाओं सहित बैलेंस शीट, अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण करेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा.

(2) संस्थान के लेखाओं का राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (लोकल फाण्ड ऑडिट) के परीक्षक या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जैसा कि वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, के द्वारा लेखा परीक्षा किया जाएगा.

(3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक या संस्थान की लेखाओं के ऑडिट के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो कि शासकीय लेखाओं के ऑडिट के संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक के रूप में इस प्रकार के ऑडिट के संबंध में प्राप्त हों और विशेषत: संस्थान के कार्यालयों के बहियों, लेखाओं, संबंधित वाऊचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजातों की प्रस्तुति की मांग करने तथा निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के परीक्षक द्वारा अथवा इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखाओं को उसकी ऑडिट रिपोर्ट के साथ राज्य शासन को प्रतिवर्ष अग्रेषित किया जाएगा और शासन इसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करवायेगा.

(5) संस्थान, इस धारा की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के अधीन उल्लिखित प्रावधानों का अल्पीकरण किए बिना, अपने लेखाओं के ऑडिट के लिए एक वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगा.

पेंशन एवं भविष्य निधि. 28. संस्थान, निदेशक सहित अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि योजनाओं का सृजन करेगा, जैसा कि वह ठीक समझे:

परंतु राज्य शासन घोषित कर सकेगा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के प्रावधान भविष्य निधि पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह शासकीय भविष्य निधि हो.

29. संस्थान के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां, निदेशक को छोड़कर, परिनियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित द्वारा की जाएगी— **कर्मचारियों की नियुक्ति.**

(क) बोर्ड द्वारा, यदि नियुक्ति शैक्षणिक स्टॉफ अर्थात् सहायक प्राध्यापक (एसोसिएट प्रोफेसर) या इसके उच्च पद पर की जाती है अथवा समय-समय पर परिनियमों में विहित किये गये अधिकतम वेतनमान में, किसी भी संवर्ग में यदि गैर शैक्षणिक स्टॉफ के लिए नियुक्ति की जाती है;

(ख) निदेशक द्वारा, अन्य मामलों में.

30. इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं अन्य मामलों के लिए उपबंधित कर सकेंगे, अर्थात् :— **परिनियम.**

(क) मानद डिग्रियों का प्रदाय;

(ख) शिक्षण के विभागों, संकायों, केन्द्रों या स्कूलों का निर्माण;

(ग) संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्री एवं डिप्लोमा की परीक्षाओं में प्रवेश या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए प्रभारित किया जाने वाला शुल्क;

(घ) अध्ययनवृत्तियां (फेलोशिप), छात्रवृत्तियां (स्कॉलरशिप), प्रदर्शनियां (एक्जीबिशन), पदक और पुरस्कारों का संस्थापन;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों की पदावधि और उनकी नियुक्ति की पद्धति;

(च) संस्थान के शिक्षकों की योग्यताएं;

(छ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य स्टॉफ का वर्गीकरण, नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और सेवा की शर्तों का निर्धारण;

(ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य स्टॉफ के हितों के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का सृजन;

(झ) संस्थान के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ञ) हॉल और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ट) संस्थान के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें और हॉल तथा छात्रावासों में आवास हेतु शुल्कों और अन्य प्रभारों का अधिरोपण;

(ठ) बोर्ड के सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति;

(ड) बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय भत्ते एवं परिलब्धियां;

(ढ) बोर्ड के आदेशों और निर्णयों का प्रमाणीकरण;

(ण) बोर्ड, सीनेट अथवा किसी समिति की बैठकें, इन बैठकों का कोरम तथा उनके कार्य निष्पादन में पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(त) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियमों द्वारा या इसके अधीन उपबंधित हों, अथवा किया जाना हो, अथवा किया जाये.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

31. (1) राज्य शासन प्रथम परिनियम बनायेगा, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा अथवा उप- धारा (1) में निर्दिष्ट परिनियम में संशोधन कर सकेगा या उसे निरसित कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक नए परिनियम अथवा परिनियम में परिवर्धन या परिनियम के संशोधन या निरसन हेतु कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी जो इस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है, अथवा विचार के लिये इसे बोर्ड को भेज सकता है :

परन्तु नए परिनियम अथवा परिनियम में संशोधन अथवा विद्यमान परिनियम के निरसन को तब तक वैधता नहीं मिलेगी जब तक कि कुलाधिपति द्वारा इस पर अनुमति प्रदान नहीं की जाती.

अध्यादेश.

32. इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या कोई मामले उपबंधित हो सकते हैं, अर्थात् :—

(क) संस्थान में विद्यार्थियों का प्रवेश;

(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमाओं या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें जिसके अधीन विद्यार्थियों को संस्थान की डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और जिसके अधीन वे संस्थान के डिग्री और डिप्लोमाओं या कोई अन्य प्रशस्तियों या अवार्ड के लिए पात्र होंगे;

(घ) अध्ययनवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक और पुरस्कारों के प्रदाय हेतु शर्तें;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति की शर्तें और रीति और उनके कर्तव्य;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) संस्थान के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना; और

(ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम या परिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये परिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हो, या किया जाए.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

33. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेशों का निर्माण सीनेट द्वारा किया जाएगा.

(2) सीनेट द्वारा निर्मित सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निर्देशित करे, किन्तु इस प्रकार से निर्मित प्रत्येक अध्यादेश को यथासंभव शीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अपनी आगामी उत्तरवर्ती बैठक में इस पर विचार किया जाएगा.

(3) बोर्ड को इस प्रकार के किसी अध्यादेश को संकल्प द्वारा उपांतरित करने अथवा निरस्त करने की शक्ति होगी और इस प्रकार के अध्यादेश ऐसे संकल्प की तिथि से, उपांतरित अथवा निरस्त, जैसी भी स्थिति हो, माने जाएंगे.

34. संस्थान के प्राधिकारी, अपने स्वयं के कारोबार के संचालन तथा उनके द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के लिए परिनियमों द्वारा विहित रीति में, इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश से संगत ऐसे विनियम बना सकेंगे जो अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश द्वारा उपबंधित न हों.

विनियम बनाने की शक्ति.

अध्याय-तीन
विविध

35. इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड, सीनेट या किसी प्राधिकारी का कार्य या कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित कारण से अविधिमान्य नहीं होगी:

(क) इसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियों के विद्यमान होने से;

(ख) इसके सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चयन, नामांकन या किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई विसंगति;

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता जिससे मामले के गुण-दोष (मेरिट) प्रभावित न हों.

संस्थान के प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

36. (1) राज्य शासन द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों द्वारा, कुलाधिपति, नियमों में उपबंधित नैतिक अधमता, अशोभनीय आचरण, घोर अनुशासनहीनता, हितों के संघर्ष अथवा किसी अन्य आधार से संबंधित आरोपों पर संस्थान के निदेशक अथवा संस्थान के सम्यक् रूप से गठित निकाय के किसी सदस्य को हटाये जाने का आदेश कर सकेगा.

संस्थान के निदेशक, बोर्ड, सीनेट या वित्त समिति के सदस्य का हटाया जाना.

(2) संस्थान के निदेशक को पद से प्रस्तावित हटाये जाने हेतु आधारों का उल्लेख करते हुए आरोप पत्र उस पर तामील किए बिना, पद से हटाया नहीं जाएगा और उसे अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने और लगाए गए आरोपों का उत्तर देने का अवसर देना होगा.

(3) संस्थान के सम्यक् रूप से गठित निकाय के किसी भी सदस्य को इस संबंध में कुलाधिपति द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना हटाया नहीं जा सकेगा.

37 यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो शासन, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध बना सकेगा जो कि उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत होते हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश, इस धारा के अधीन नहीं किया जायेगा.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

38. राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए, नियम बना सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम और अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

परिनियमों एवं अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशन किया जाना तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम सहित प्रथम परिनियम, अध्यादेश या नियम को इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पटल पर, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखा जायेगा, और यदि उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो, या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र, के अवसान होने के पूर्व, सदन यदि किसी प्रकार के उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा, तथापि [illegible] उपांतरण या निलोपन, परिनियम या अध्यादेश या नियम, यथास्थिति, के अधीन पूर्व [illegible] किसी कार्य की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक 3690/डी. 119/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2013)

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT) UNIVERSITY ACT, 2013

TABLE OF CONTENTS

Section

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
THE UNIVERSITY

3. Incorporation of the Institute.
4. Powers of the Institute.
5. Institute open to all classes, castes and creeds.
6. Admissions to the Institute.
7. Teaching at the Institute.
8. Chancellor.
9. Authorities of the Institute.
10. Constitution of Board.
11. Term of office, vacancies and allowances payable to the members of the board.
12. Powers and functions of the Baord.
13. The Senate.
14. Functions of the Senate.
15. Finance Committee.
16. Powers and functions of the Finance Committee.
17. Buildings and Works Committee.
18. Powers and functions of the Buildings and Works Committee.
19. Powers and functions of the Chairperson of the Board.
20. Appointment of Director.
21. Powers and functions of Director.
22. Appointment, powers and functions of Deans.
23. Appointment, powers and functions of Registrar.

24. Other authorities.
25. Grants by the State Government.
26. Funds of the Institute.
27. Accounts and audit.
28. Pension and provident fund.
29. Appointment of staff.
30. Statutes.
31. Statutes how made.
32. Ordinances.
33. Ordinances how made.
34. Power to make regulations.

CHAPTER-III

MISCELLANEOUS

35. Proceedings of the Institute authorities or bodies not to be invalidated by vacancies etc.
36. Removal of the Director, member of the Board, Senate or Finance Committee of the Institute.
37. Power to remove difficulties.
38. Power to make rules.
39. Statutes and Ordinances to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature.

CHHATTISGARH ACT
(No. 15 of 2013)

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT) UNIVERSITY ACT, 2013

An Act to establish and incorporate a non-affiliating, teaching and research University at Naya Raipur to promote and facilitate studies, research, incubation and extension work in Information Techonology and in its application domain and related areas of knowledge and to achieve excellence in these fields and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the International Institute of Information Technology (IIIT) University Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Annual Permitted Strength" means the number of seats in each branch of study approved by appropriate authority responsible for s ing of educational standards and approved by the Baord;

(b) "Appropriate Authority" means any statutory body responsible for setting of educational standards or the Senate of the University as the case may require;

(c) "Board" means the Board of the University;

(d) "Chairperson" means the Chairperson of the Baord of University;

(e) "Chancellor" means the Governor of Chhattisgarh;

(f) "Dean" means the Dean of Academics or of Research & Development, as the case may be;

(g) "Director" means the Director of the Institute at Naya Raipur who shall be, the ex-officio, Vice Chancellor of the University;

(h) "Employee" means any person appointed by the Univers and drawing salary and other remuneration from the funds of the Univers y;

(i) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(j) "Institute" means the International Institute of Information Technology-Naya Raipur (IIIT-Naya Raipur) incorporated as a University under this Act in partnership with the National Thermal Power Corporation Ltd (NTPC);

(k) "NTPC" means the National Thermal Power Corporation Ltd, a central public sector undertaking, incorporated at Delhi, and having its power generation and allied activities in the State of Chhattisgarh, which includes its successors, authorized representatives and permitted assigns;

(l) "Other Backward Classes" means the other Socially and educationally backward classes of citizens for the purposes of Article 15(5) of the Constitution of India and specified by the State Government vide its notification No. F 85-XXV-4-84, Dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(m) "Registrar" means the Registrar of the University;

(n) "Reserved Seats" mean the seats reserved for the special category of persons in respect of admissions under Section 6 of this Act;

(o) "Scheduled Caste" means any caste notified under Article 341 of the Constitution for the State of Chhattisgarh;

(p) "Scheduled Tribe" means any tribe notified under Article 342 of the Constitution for the State of Chhattisgarh;

(q) "Senate" means the senate of the University;

(r) "Sponsor" means NTPC as defined in clause (k) above;

(s) "State" means the State of Chhattisgarh;

(t) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean the Statutes, Ordinances and Regulations of the University respectively under this Act and for the time being in force;

(u) "Year" means the financial year unless the contex otherwise requires.

CHAPTER-II
THE UNIVERSITY

Incorporation of the Institute.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established a university by the name of International Institute of Information Technology Naya Raipur with the abbreviation of "IIIT-Naya Raipur", hereinafter referred to as the Institute.

Explanation—In this act the words "Institute" and "University" have been used inter-changeably.

(2) The Institute shall be a body corporate having a perpetual succession, a common seal and may by the said name sue or be sued.

(3) The Institute shall be financially and administratively autonomous, having its own administrative policies and practices provided in its Statutes, Ordinances and Regulations.

Powers of the Institute.

4 (1) Subject to the provisions of this Act, the Institute shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :—

(a) to admit students with such eligibility as provided in the Statutes and to approve the Annual Permitted Strength;

(b) to provide for instruction and research in the fields of engineering, technology, management, education, sciences and arts, or other fields of knowledge related to information technology, as the Institute may deem fit, and for the advancement of learning, dissemination and creation of knowledge in such fields;

(c) to hold examinations and grant degree, diploma and other academic distinctions or awards;

(d) to confer honorary degrees or other academic distinctions;

(e) to fix, demand and receive fee and other charges;

(f) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of studentes;

(g) to supervise and control the residence, regulate the discipline of students of the Intitute and to make arrangements for promoting health, general welfare, cultural and corporate life of the students;

(h) to create academic and other posts and to make, other than to the post of Director, appointments thereto;

(i) to frame Statutes, other than the first Statutes, Ordinances and Regulations and to alter, modify or rescind any of these ;

(j) to deal with any movable property belonging to or vested in the Institute, in such manner as it may deem fit, for advancing the objects of the Institute;

(k) to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government and to receive bequests donations and transfers of movable or immovable properties from testators, donors or transferors, as the case may be;

(l) to co-operate with educational or other institutions in any part of the world, having objects, wholly or partly, similar to those of the Institute by exchagnge of teachers, scholars and generally in such manner as may be conducive to their common objects;

(m) to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, prizes and medals; and

(n) to do all such things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Institute.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Institute shall not dispose of in any maner any immovable property without the prior approval of the State Government.

Institute open to all classes, castes and creeds.

5. (1) The Institute shall be open to persons of any sex, race, creed , caste or class, and it shall not be lawful for the Institute to adopt or impose on any person any test whatsoever in the name of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the Institute or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the Institute, or to graduate thereat, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) The Institute shall be open to students of any nationality who may be admitted in the manner provided in the Statute.

(3) No bequest, donation or transfer of any property shall be accepted by the Institute, which in the opinion of the Board involves conditions or obligations opposed to the spirit and object of this section.

6. (1) Admissions to the Annual Permitted Strength shall be on the basis of a common entrance test (C.E.T.) in such manner as may be approved by the Board of Institute: **Admissions to the Institute.**

Provided that 50 percent of the Annual Permitted Strength shall be reserved for the students passing out from schools situated in the State of Chhattisgarh in secondary and senior secondary qualifying examinations :

Provided further that 15 percent of the Annual Permitted Strength shall be reserved for the admission of persons employed with NTPC or their wards, who are otherwise eligible and are sponsored by NTPC.

(2) The reservation of seats at the time of admission and its extents for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, shall be as specified by the State Government under any law for the time being in force.

7. Teaching at Institute shall be conducted by or in the name of the Institute, in accordance with the Statutes, Ordinanaces and Regulations made in that behalf. **Teaching at the Institute.**

8. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Chancellor of the University. **Chancellor.**

(2) The Chancellor may appoint one or more persons to review the work and progress of the Institute, to hold inquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as he may direct.

(3) Upon receipt of any such report , the Chancellor may take such action and issue such directions as he may consider necessary in respect of the matter dealt within the report and the Institute shall be bound to comply with such directions.

9. The following shall be the authorities of the Institute :— **Authorities of the Institute.**

(1) The Chairperson,
(2) The Board,
(3) The Senate,
(4) The Finance Committee,
(5) The Building and Works Committee,
(6) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the Institute.

10. The Board shall consist of the following persons, namely :— **Constitution of Board.**

(1) the Chairperson, to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed;

(2) the Principal Secretary or Secretary, Technical Education, Government of Chhattisgarh, (Ex-officio);

(3) the Principal Secretary or Secretary, Information Technology, Government of Chhattisgarh, (Ex-officio);

(4) Director, Technical Education, Government of Chhattisgarh, (Ex-officio);

(5) One Professor to be nominated by the Senate;

(6) Four persons having special knowledge or practical experience in respect of education, engineering, science or the Information Technology Industry, to be nominated by the Board:

(7) Dean (Academic) and Dean (Research & Development), (Ex-officio);

(8) Three Persons nominated by the Sponsor;

(9) The Registrar;

(10) Director of the Institute (Ex-officio Member Secretary),

Term of office, vacancies and allowances payable to the members of the Board.

11. (1) Save as provided in this section :—

(a) the term of office of the chairperson or a member of the Board shall be three years from the date of nomination.

(b) an ex-officio member shall continue on the Board till he ceases to hold the office by virture of which he is a member.

(c) the term of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, an outgoing member shall, continue in office until another person is nominated as a member in his place.

(3) The members of the Board, other than the employees of the Institute, shall be entitled to the reimbursement of expenditure, payment of allownaces and siting fees as may be provided in the regulations.

Powers and functions of the Board.

12. (1) Subject to the provisions of this Act, the Board shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute and shall exercise all the powers of the Institute not otherwise provided in this Act, the Statutes, the Ordinances or Regulations and shall have the power to review the work of the Finance Committee and the Building and Works Committee.

(2) Without prejudice to the provision of sub-section (1), the Board shall have the following powers to, namely :—

(a) take decisions on questions of policy relating to the administration and working of the Institute;

(b) Institute Courses of Study on the recommendation of the Senate;

(c) make Statutes, other than the first Statutes;

(d) create posts and appoint persons to academic as well as other posts in the Institute and determine salary structure and the terms and conditions of different cadres of employees subject to availability of financial resources;

(e) make, modify or cancel Ordinances or Regulations;

(f) consider and approve the annual reports and development plans of the Institute on the recommendation of Senate or the Building and Works Committee, as the case may be;

(g) consider and approve annual accounts and the budget estimate of the Institute for the financial year next, as recommended by the Finance Committee;

(h) accord administrative approval to all infrastructure related works, all minor original works and works related to the maintenance of estate as recommended by the Building and Works Committee;

(i) exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by this Act or the Statutes.

(3) The Board shall have the power to appoint such other committees as it consider necessary for the exercise of its powers and performance of its functions under this Act:

Provided that any such committee appointed under this sub-section shall not be given powers and functions prejudicial to the Senate, the Finance Committee and the Buildings and Works Committee.

The Senate.

13. The Senate shall consist of the following members, namely :—

(a) the Director, who shall be the Chairman;

(b) the Registrar;

(c) Dean (Academic), who shall be the secretary;

(d) Senior most Professors, not exceeding five in numbers representing different disciplines, who shall be nominated by the Board, on the basis of seniority;

(e) three persons, not being employees of the Institute, to be nominated by the Board, from among educationists of repute, one each from the fields of science, engineering and management; and

(f) such other persons, not exceeding two, who may be invited by the Senate to assist it in deciding on any academic issues, in that meeting without any voting rights thereto.

Functions of the Senate.

14. The Senate shall be the principal academic body of the Institute and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations, have the control and be responsible for maintenance of standards of education, teaching and training, inter-departmental coordination, research, examinations and tests, and shall exercise such other powers and such other duties and functions as may be prescribed or conferred upon it by the Statutes.

Finance Committee.

15. (1) There shall be a Finance Committee with the following members, namely :—

(a) Director, who shall be the Chairman;

(b) nominees of the State Government representing:

(i) the department dealing with Teachnical Education;

(ii) the department dealing with Finance respectively;

(c) a member of the Board to be nominated by it;

(d) one person of eminence with background in finance or accounts, to be nominated by the Board, not being the employee of the Institute;

(e) The Chief Finance and Accounts officer of the Institute, who shall be the Secretary;

(f) The Registrar;

(g) A person to represent the Sponsor.

(2) The members of the Finance Committee, other than the Chief Finance and Accounts officer and the ex-officio members, shall hold office for a term of three years from the date of their nomination.

Powers and functions of the Finance Committee.

16. The powers and functions of the Finance Committee shall be as follows :—

(a) to examine the accounts and scrutinize proposals for expenditure;

(b) to examine annual accounts for financial estimates of the Institute and submit the same to the Board together with comments for the approval of the Board;

(c) to sanction expenditure up to the extent provided in the Statues.

Builidings and Works Committee.

17. (1) There shall be a Building and Works Committee which shall have the following members, namely :-

(a) Director, who shall be the Chairman;

(b) a member of the Board nominated by it;

(c) a person to represent the Sponsor;

(d) a person of eminence with backgraound in civil engineering, to be nominated by the Board, not being an employee of the Institute;

(e) a person of eminence in the field of teaching or research in any field of study offered by the Institute, to be nominated by the Board, not being an employee of the Institute;

(f) one nominee of the State Government from the department dealing with Public Works;

(g) one person representing the Naya Raipur Development Authority;

(h) the Registrar;

(i) the senior most officer responsible for managing the estate of the Institute shall be the Secretary of the committee.

(2) The members of the Buildings and Works Committee, other than the senior most officer responsible for managing the estate of the Institute and the ex-officio members, shall hold office for a term of three years from the date of their nomination.

Powers and functions of the Buildings and Works Committee.

18. Subject to the provisions of Statues, Ordinances and Regulations, the powers and functions of the Buildings and Works Committee shall be as follows :—

(a) Technical approvals for all major infrastructure related works within the sanctioned budget;

(b) Technical approvals and clearance for all minor original works and works related to the maintenance of estate, withing the sanctioned budget;

(c) To grant approval in respect of -

(i) enlistment of contractors,

(ii) floating and acceptance of tenders,

(iii) issuance of work orders,

(iv) undertaking of works departmentally and supervising works in progress;

(d) To grant approval for proposals in respect of claims and settlement of unscheduled rates;

(e) To propose to the Finance Committee for its approval, the Schedule of Rates;

(f) Such other functions in the matter of construction of buildings and development of land, as the Board may deem it fit to assign to the Committee;

(g) The Chairman of the Committee may exercise all or any of the powers of the Committee, as the situation may demand and every such order shall be reported to the Committee and to the Board at their respective next meeting.

Powers and functions of the Chairperson of the Board.

19. The powers and functions of Chairperson of the Baord shall be as follow, namely :—

(a) The Chairperson shall preside over the meetings of the Board;

(b) In cases where meeting of the Board is not convened as provided in the Statutes, the Chairperson shall have the powers to convene the meeting of the Board in accordance with the provisions of the Statutes;

(c) Where in the opinion of the Director, the situation demands that immediate decision needs to be taken in the interest of the Institute, then the Chairperson on the recommendation of the Director may issue such orders as may be deemed necessary :

Provided that such orders shall be submitted for ratification of the Board at its next meeting:

Provided further that no such decision shall be taken without the prior approval of the Board, where the Financial burden on the Institute exceeds the provisions of the budget approved by the Board;

(d) The Chaiperson shall exercise such powers and perform such other functions as may be assigned to him under this Act, by Statutes, or by resolution of the Board.

Appointment of Director.

20. (1) The Director shall be a scholar of eminence in the area of Information Technology or Computer Science or Computer Engineering having administrative experience in a degree level institution of higher learning.

(2) Except as provided under this Act the Director of the Institute shall be appointed by the Chancellor "under the doctrine of pleasure" after consultation with the State Government from a panel of not less than three distinguished persons in the field of Information Technology recommended by the search committee under sub-section (3) or sub-section (7) of Section 20 of this Act:

Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the search committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from search committee.

(3) The Chancellor shall constitute a search committee consisting of following persons, namely :—

(i) one person recommended by the Board;

(ii) one person recommended by the Sponsor;

(iii) one person recommended by the Chancellor;

The Chancellor shall appoint any one of these three persons as Chairman of the search committee.

(4) For constituting the committee under sub-section (3), the Chancellor shall, six months before the expiry of the term of the Director, call upon the Board and the Sponsor to choose their nominees for the search committee, and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard, the Chancellor may further nominate any one or both the persons, as the case may be.

(5) No person who is connected with the Institute shall be recommended or nominated on the search committee under sub-section (3).

(6) The search committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.

(7) If for any reason the committee constituted under sub-section (3) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (6), the Chancellor shall constitute another search committee consisting of three persons, not connected with the Institute, and shall appoint one of them as the Chairman of the Search Committee. The search committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution.

(8) If the committee constituted under sub-section (7) fails to submit the panel within the period specified therein, the Chancellor may appoint any person whom he deems fit to be the Director after consultation with the State Government.

(9) The Director shall be a whole-time salaried officer of the Institute and his emolument and other conditions of service shall be prescribed by the Statutes.

(10) The Director shall hold office for a term not exceeding five years or till the attainment of the age of 70 years, whichever is earlier, and shall not be eligible for appointment for more than two terms.

Powers and functions of Director.

21. The powers and functions of Director shall be as follow, namely :

(a) The Director shall be the principal academic and executive officer of the Institute, responsible for proper administration of the Institute and for imparting of instructions and maintenance of discipline therein;

(b) The Director shall submit annual reports and accounts to the Board:

Provided that the Chancellor may require the Director to submit such special or periodical reports as may be deemed necessary;

(c) It shall be the duty of the Director to ensure that the decisions taken by the Board are implemented;

(d) The Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes, Ordinances, Regulations or Resolutions of the Board;

(e) The Director may, if he is of the opinion that the situation is of an emergent nature and immediate action is necessary on any matter, for reasons to be recorded in writing, exercise any power conferred upon any authority, other than the Chairperson of the Institute:

Provided that the Director shall, as soon as may be, submit a report to the Chairperson, on the exercise of such powers, and the decision thereon shall be final.

22. (1) The Deans shall be appointed by the Board on recommendations of the Director and on such terms and conditions as may be laid down by the Statutes. **Appointment, powers and functions of Deans.**

(2) The Deans shall exercise such powers and perform such functions as may be assigned to them under this Act, Statutes, Ordinances or Regulations or by the Board, as the case may be

23. (1) The appointment of the Registrar shall be on such terms and conditions as may be laid down by the Statutes. **Appointment, powers and functions of Registrar.**

(2) The Registrar shall be the custodian of records, the common seal, the funds and the property of the Institute.

(3) Registrar shall be responsible for, and accountable to the Director and shall be subject to the directions and control of the Director.

(4) The Registrar shall exercise such powers and perform such functions as may be assigned to him under this Act, Statutes, Ordinances, Regulations or by the Board, as the case may be, and in performance of such duties and exercising such powers, he shall be responsible to the Director for the proper discharge of his functions.

24. The constitution, powers and functions of the other authorities, that may be declared by the Statutes to be the authorities of the Institute, shall be such as may be provided therein. **Other authorities.**

25. For the purpose of enabling the Institute to discharge its functions efficiently under this Act, the State Government may after due appropriation made by the Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money and in such manner as it may deem fit. **Grants by the State Government.**

26. (1) The Institute shall maintain funds, which shall be credited with :— **Funds of the Institute.**

(a) money provided by the State Government;

(b) fees and other charges received by the Institute;

(c) money received by the Institute by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;

(d) money received by the Institute in any other manner or from any other source;

(e) money recieved from the Sponsor.

(2) Money credited to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Director may decide in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India.

(3) Funds of the Institute shall be applied towards meeting of the expenses of the Institute, including expenses incurred in the exercise of powers and discharge of functions under this Act.

27. (1) The Institute shall maintain proper accounts including the balance sheet, other relevant records and prepare an annual statement of accounts. **Accounts and audit.**

(2) The accounts of the Institute shall be audited by the Examiner of the Local Fund Audit of the State or such person or persons as he may authorize in this behalf.

(3) The Examiner of the Local Fund Audit and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Institute shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Examiner of the Local Fund Audit has in connection with the audit of the Government accouts, and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the offices of the Institute.

(4) The accounts of the Institute as certified by the Examiner of the Local Fund Audit or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and Government shall cause the same to be laid before the Legislative Assembly

(5) The Institute may appoint a statutory auditor for audit of its accounts, without derogating provisions mentioned above under sub-section (2), (3) and (4) of this Section.

Pension and provident fund.

28. The Institute shall constitute for the benefit of its employees, including the Director, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident funds schemes as it may deem fit:

Provided that the State Government may declare that the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (No. 19 of 1925) shall apply to such Provident Fund as if it were a government provident fund.

Appointment of staff.

29. All appointments of members of the staff of the Institute, except that of the Director, shall be made in accordance with the procedure laid down in the Statutes, by—

(a) The Board, if the appointment is made on the academic staff i.e. to the post of Associate Professor or above or if the appointment is made on the non-academic staff in any cadre, the maximum pay scale for which is prescribed in the Statutes from time to time; and

(b) the Director, in other cases.

Statutes.

30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the conferment of honorary degrees;

(b) the formation of departments, divisions, centers or schools of teaching;

(c) the fee to be charged for courses of study in the Institute and for admission to the examinations of degree and diploma or any other distinction or award of the Institute,

(d) the institution of fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;

(e) the term of office and the method of appointment of officers of the Institute;

(f) the qualifications of teachers of the Institute;

(g) the classifications, the method of appointment and the determination of the terms and conditions of service of teachers and other staff of the Institute;

(h) the constitution of pension, insurance and provident funds, for the benefit of officers, teachers and other staff of the Institute;

(i) the constitution, powers and duties of the authorities of the Institute;

(j) the establishment and maintenance of halls and hostels;

(k) the conditions of residence of students of the Institute and the levying of fee for residence in the halls and hostels and of other charges;

(l) the manner of filling vacancies among members of the Board;

(m) the allowances and other remunerations to be paid to the Chairperson and members of the Board;

(n) the authentication of the orders and decisions of the Board;

(o) the meetings of the Board, the Senate, or any Committee, the quorum at such meetings and the procedure to be followed in the conduct of their business;

(p) any other matter, not being inconsistent with the provisions of this Act, which, by or under this Act and the Statutes thereunder, are, or to be, or may be, provided.

31. (1) The State Government shall make the first Statutes, which shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette. **Statutes how made.**

(2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of Statute shall require the previous approval of the Chancellor who may assent thereto, or withhold assent, or remit it to the Board for reconsideration:

Provided further that a new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor.

32. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances of Institute may provide for all or any of the following matters, namely :— **Ordinances.**

(a) admission of the students to the Institute;

(b) the courses of study to be laid down for all degree, diploma or any other distinction or award of the Institute;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examinations of the Institute, and shall be elibible for degree and diploma or any other distinction or award of the Institute;

(d) the conditions of award of the fellowships, scholarships, exibitions, medals and prizes;

(e) the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) the conduct of examinations:

(g) the maintenance of discipline among the students of the Institute; and

(h) any other matter, not being inconsistent with the provisions of this Act or Statutes, which, by or under this Act and the Statutes thereunder, are, or to be, or may be, provided.

Ordinances how made.

33. (1) Save as otherwise provided in this section, Ordinances shall be made by the Senate.

(2) All Ordinances made by the Senate shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted, as soon as may be, to the Board and shall be considered by the Board at its next succeeding meeting.

(3) The Board shall have power by resolution to modify or cancel any such Ordinance and such Ordinance shall from the date of such resolution stand modified or cancelled, as the case may be.

Power to make regulations.

34. The authorities of the Institute may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of any of the committees appointed by them and not provided for by the Act, the Statutes or the Ordinances.

CHAPTER-III
MISCELLANEOUS

Proceedings of the Institute authorities or bodies not to be invalidated by vacancies etc.

35. No act or proceedings of the Board, the Senate or any other authority constituted under this Act shall be invalidated merely by reason of;

(a) the existence of any vacancy or vacanies among its members;

(b) any defect in the selection, nomination or appointment of a person acting as a member thereof; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Removal of the Director, member of the Board, Senate or Finance Committee of the Institute.

36. (1) The Chancellor may, by rules to be framed in this behalf by the State Government, order the removal of the Director of the Institute or of any member of a duly constituted body of the Institute at any time, on charges relating to moral turpitude, unbecoming conduct, gross indiscipline, conflict of interest or any other ground provided in the rules.

(2) The Direcor of the Institute shall not be removed from office without charges being served on him specifying the grounds for the proposed removal from office, with an opportunity being afforded to him to explain his conduct and reply to the charges.

(3) No member of a duly constituted body of the Institute may be removed without being given an opportunity to be heard by a person nominated by the Chancellor in this behalf.

Power to remove difficulties.

37. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

Power to make rules.

38. The State Government may, subject to the previous publication by notification in the Official Gazette, make rules to carry out all or any of the purpose of this Act.

Statutes and Ordinance to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature.

39. (1) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute, including amendments to the First Statute, Ordinance or Rule

made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Chhattisgarh while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification or the House agrees that the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, should not be made, the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.